



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2018 रेस्टोरेशन
पुनर्स्थापन - 3187/2018/शहडोल/भू-र

श्री. सुकेश शर्मा
द्वारा आज दि. 24-5-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 30-5-18 नियत।

वर्क ऑफ कोर्ट 24-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

103
श्री. सुकेश शर्मा
24-5-18 (स्वोफेट)
ग्वालियर

बॉके बिहारी शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा
निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढ़ार
जिला शहडोल (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. मानधाता सिंह (मृत) वारिशान
 2. रघुनंदन सिंह
 3. श्रीमती वसुंधरा सिंह
 4. श्रीमती मीरा सिंह पत्नी स्व. मानधाता सिंह
- तीनों के पिता मानधाता सिंह
सभी निवासीगण खैरहा तहसील बुढ़ार जिला
शहडोल (म.प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्र.कं.
1764-11/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6.4.2018
के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के
अंतर्गत आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक श्री जितेन्द्र मिश्रा निवासी शहडोल ने उक्त अपील कलेक्टर शहडोल के अधीक्षक के समक्ष दिनांक 26.5.2016 को पेश की थी। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील डाक से प्राप्त हुई थी।

पुनर्स्थापना - 3187/2018/राष्ट्रीय/श.श.

— 2 —



एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

3015118

आवेदक अशोक राममूर्ति शर्मा/उनके
जन्म तिथि 1764-11/16
में भा.सि. 6/15118 को अद्यतन में निरस्त
चुका है। अतः उनका नकल कि.सि. को पेश किया
कोर नहीं थी। अतः रेशे की जांच प्रणाली से
जाता है तथा प्रणाली में नमूना प्रणाली में
आदेश दिए जाते हैं। रेशे-कल समाप्त
जाता है।



सहस्र